

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी ग.प्र.

प्र.क. 15 / 2015-16 / अ-20(3)

ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने के संबंध में।

// आदेश //

(प्रारित दिनांक 13/4/16)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी के पत्र क्रमांक 912/परि/का.या./लो.स्वा.या./खण्ड दिनांक 29.02.2016 द्वारा ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि सीवर लाइन डालने में वन विभाग की समतुल्य भूमि प्रभावित है।

नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/2015-2016/अ-74 में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने जांच प्रतिवेदन भेजकर प्रतिवेदित किया है कि ग्राम डोंगरी के शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर (का.का.) जो अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 02/15-16/अ-59 आदेश दिनांक 28.10.15 द्वारा पूर्व में भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु सुरक्षित की गई है, को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किया जा सकता है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा इस्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई जिसमें किसी की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा ग्राम पंचायत करारु के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 27.01.2016 से पंचायत को कोई आपत्ति होना बताया है व पटवारी द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव रिपोर्ट में अक्स नक्शा, खसरा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रस्तावित भूमि पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है।

अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 62/15-16/अ-74 के प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2016 द्वारा नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रस्तावित भूमि ग्राम डोंगरी की शासकीय सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

//2//

अतः अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी एवं नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे 56 का रकबा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकबा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र नं. 11 की कडिवा 146 के अन्तर्गत विनिर्धारित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

1. भूमि जिसे प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित की जा रही है उसका प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा भूमि का कब्जा व भूमि राजस्व विभाग के हित में प्राप्त किया जाएगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अवश भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी हस्तान्तरित भूमि का खसरे में अमल कराये एवं सम्बन्धित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य सौंपे एवं अधिपत्य रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म0प्र

पृ. क्रमांक 15 / 15-16/अ-20(3)/नजूल/2016/1947 शिवपुरी, दिनांक 13/04/2016
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिला शिवपुरी की ओर हस्तान्तरित की गई भूमि का अधिपत्य लेने हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराएं एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कर भूमि का अधिपत्य दिलाया जाकर प्राप्ति की अभिस्वीकृति लेंगे।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म0प्र

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फॉर्म पी -II

खसरा

भूमि का खसरा केबलर में एब कर के भूमि का खसरा

25/05/2018

ग्राम: डोगरी	हल्का: 10-करइकेरड	रा.नि.म.: सुभाषपुरा	तहसील: शिवपुरी	जिला: शिवपुरी	वर्ष: 2017-2018
--------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली हो सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा जिसके स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का वर्णन	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी गौशरी कब्जेदार के उप पट्टेदार का नाम पिता का नाम, लगान का पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर देय रकम अथवा क्षेत्रफल	खाने की भूमि		अन्य पट्टे की आयकर की दर में	खाली के गहर के क्षेत्र में कोई भी भूमि नहीं लगी क्षेत्रफल
				क्षेत्रफल का नाम	पट्टे की रकम		

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
56	6 000	(शुद्ध)								
बाल	6 000									
बी	6 000									

न्यायालय अपर कलेक्टर
महो के प्र.क्र.-02/14-10/34-
49 आ.दि-20.10.14 से रक
या 1.03 है भूमि कार्यपाल
न यही लोक स्वास्थ्य या
चिकी विभाग खण्ड शिवपुरी
को सुरक्षित की गयी।
न्यायालय कलेक्टर जिला
शिवपुरी के प्र.क्र.-15/2015
-16/अ-20-3 आ.दि-13.04
16 से रकबा 1.83 है भू
मि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्र
योजनाय मध्यप्रदेश शासन
एन विभाग को सहायता हस्त
तांतरित की जाती है।

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II
खसरा

भूमि का खसरा हेतु दफ्तर में एवं वनों का खसरा सूचक पैमाने में

सी. एस. नं. : 105020100010048003359

ग्राम: डोगरी हल्का: 10-करईकरऊ रा.नि.म.: सुभाषपुरा तहसील: शिवपुरी जिला: शिवपुरी वर्ष: 2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्यक्स्थिति न हो तो उसका वर्णन)	कस्बेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा पितादा सहाय, अधिकांश जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देव राजस्व का लगान	जिससे भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी नैसर्गिक कारणवश के उप पट्टेदार का नाम पिता का नाम समान या पट्टेदार का नाम और उसका पद दिए गये भा.प.न. संख्या	खात की भूमि						खतों के बाहर के खेतों में बोटे गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	अधिकृत
				क्षेत्रफल जिससे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पट्टेदार का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	सुसंगत क्षेत्रफल	बादलों की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 ला.न. व.	6.000 क्ष.क. 6.000	(शाम शिव)									न्यायालय उच्च कलेक्टर महो के प.क. - 15/2015-16/अ-प.प. आ.दि-20.10.15 से खसरा 1.83 है. भूमि कार्यपालन संशुद्धि लोक स्यान्ध्या यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी को सुनिश्चित की ग यी। न्यायालय कलेक्टर जिला शिव पुरी के प.क. - 15/2015-16/ अ-20-3 आ.दि. - 13.04.16 से खसरा 1.83 है. भूमि पैकल्प के गृहशरीणा प्रयोजनार्थ नध्यप्र देश शासन वन विभाग को सशस्त्र त हरसांतरित की जाती है।

